

# उत्तरांचल शासन

(वैट-6)

## वित्त विभाग

सं० ०४ / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक:: देहरादून:: जनवरी २१ / २००६

### अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005)की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904),(उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, अधिनियम की अनुसूचियों में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं—

- (1) अनुसूची-I में क्रमांक 4, क्रमांक 5, क्रमांक 6, क्रमांक 48 और क्रमांक 55 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भवार निम्न प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी—

क्र०स०	माल का वर्णन
1	2
4.	मत्स्य आहार, कुक्कुट आहार, पशु आहार और पशु चारा जिसमें हरा चारा, चूनी, भूसी, छिलका, चौकर, जवी, ग्वार, तेल रहित राइस पोलिश, तेल रहित राइस ब्रान, तेल रहित राइस हस्क और तेल रहित पैडी हस्क या धान का बाहरी छिलका तथा मत्स्य, कुक्कुट एवं पशु आहार अनुपूर्ति, सांद्रित चारा तथा ऐडिटिव (योज्यक), व्हीट ब्रान तथा तेल रहित केक सम्मिलित हैं लेकिन इसमें खली, राइस पालिश, राइस ब्रान, राइस हस्क एवं पशुओं का संतुलित चारा सम्मिलित नहीं है
5	बॉस, बॉस की चटाई और बॉस या केन (रिंगांल) की छड़ी तथा इनसे बनाई गयी टोकरी
6	बहुमूल्य धातु से बनी चूड़ियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की चूड़ियों और कुमकुम, बिन्दी, आलता, सिन्दूर और मेंहन्दी
48	धार्मिक तस्वीरें जो कलेण्डर या प्रचार सामाग्री की तरह प्रयुक्त न हों और मिट्टी से बनी मूर्तियाँ तथा हस्तनिर्मित पत्थर की धार्मिक मूर्तियाँ
55	स्लेट (जिसमें लेखनपट सम्मिलित नहीं है) , स्लेट पेन्सिल, तख्ती और लकड़ी के स्केल एवं डस्टर ।

(2) अनुसूची-I में क्रमांक 60 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी-

क्र०स०	माल का वर्णन
1	2
61	बायोफ्यूल
62	हाथ से बुने ऊन के स्वीटर
63	गोमूत्र से निर्मित औषधियाँ
64	जिंक सल्फेट उर्बरक और माइक्रो-न्यूट्रिएन्ट मिक्सचर्स

(3) अनुसूची-II(ख) में क्रमांक 75 और क्रमांक 94 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भवार निम्न प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी-


क्र०स०	माल का वर्णन
1	2
75	हार्डवेयर जिसमें नट,बोल्ट,पेंच,कीलें और फास्टनर सम्मिलित है लेकिन लोहा व स्पात की तार सम्मिलित नहीं है
94	नदी का बालू,रोड़ी (ग्रिट) और बोल्डर्स

(4) अनुसूची-II (ख) में क्रमांक 126 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी-

क्र०स०	माल का वर्णन
1	2
127	पशुओं का संतुलित चारा
128	हस्त निर्मित तार जाली
129	प्लाईवुड जिसके अन्तर्गत हार्डबोर्ड, लेदरबोर्ड और फाईबर-शीट भी है
130	वैल्लिंग इलैक्ट्रोड और वैल्लिंग रोड़
131	हाथ से बना कपड़े धोने का साबुन
132	कृषि उपयोग हेतु मिट्टी तेल आधारित लाइट ट्रेप

(5) अनुसूची-III में क्रमांक 7 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेंगी-

क्र०स०	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
1	2	3	4
8	सभी प्रकार के स्नेहक	नि० या आ०	20 प्रतिशत


आज्ञा से  
  
 (इन्दु कुमार पांडे)  
 प्रमुख सचिव वित्त

सं० ०४/ XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित—

- ✓ 1—कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250-250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

  
प्रमुख सचिव वित्त

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 84/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2006 dated January 21, 2006 for general information.

## UTTARANCHAL SHASAN

### VITTA VIBHAG

NO. 84/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006

DATED: DEHRADUN :: January 21, 2006

### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), (as applicable in the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this Notification, the following amendments in Schedules of the said Act-

(1) For the existing entries at serial no. 4, serial no.5, serial no.6, serial no.48 and serial no.55 in Schedule I, the following entries columnwise shall be substituted, namely

Sr. No.	Description of Goods
1	2
4-	Aquatic feed, poultry feed, cattle feed and cattle fodder including green fodder, chunni, bhusi, chhilka, chokar, javi, gower, deoiled rice polish, deoiled rice bran, deoiled rice husk, deoiled paddy husk or outer covering of paddy and aquatic, poultry and cattle feed supplement, concentrate and additives, wheat bran and deoiled cake but excluding oil cake, rice polish, rice bran, rice husk and balanced cattle feed.
5-	Bamboo, bamboo matting and sticks made of bamboo or cane (Ringal) and basket made from these.
6	Bangles of all kinds except those made of precious metals, and Kumkum, bindi, alta, sindur and mehendi
48	Religious pictures not for use as calendar or publicity material and idols made of clay and hand made religious idols of stone.
55	Slate (excluding writing boards), slate pencils, takhti and wooden scale and duster

(2) After the existing entry at serial no. 60 in Schedule I, the following entries columnwise shall be substituted, namely

Sr. No.	Description of Goods
1	2
61	Bio fuels
62	Hand knitted woolen sweaters
63	Medicines manufactured from Gau-mutra
64	Zinc Sulphate Fertilizer and Micro-Nutrient mixtures

(3) For the existing entries at serial no. 75, and serial no.94 in Schedule II(B), the following entries columnwise shall be substituted, namely

Sr.No.	Description of Goods
1	2
75	Hardware including nuts, bolts, screws, nails and fastners but excluding iron or steel wires
94	River sand, grit and boulders


(4) After the existing entry at serial no. 126 in Schedule II(B), the following entries columnwise shall be substituted, namely

Sr.No.	Description of Goods
1	2
127	Balanced cattled feed
128	Hand made wire-mesh
129	Plywood including hard-board, leather-board and fibre-sheets
130	Welding electrodes and welding rods
131	Hand made washing soaps
132	Kerosene based light trap used for agricultural purposes

(5) For the existing entry at serial no. 7 in Schedule III, the following entry columnwise shall be substituted, namely

Sr.No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
1	2	3	4
8	All kinds of Lubricants	M-or l	20 %

By Order



(INDU KUMAR PANDE)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE